केंद्र–राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन: वर्ष (2004 से 2024) तक

राजनीति विज्ञान में पी-एच.डी उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु
प्रस्तावित रूपरेखा

शोधकर्त्री

प्रज्ञा शर्मा

शोध निर्देशक

डॉ. गोपाल कृष्ण परिहार

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय
दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी)
दयालबाग, आगरा - 282005

2024

प्रस्तावना

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल के पद का एक विशेष महत्त्व है| स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ–साथ संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है| संघात्मक व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार का अस्तित्व पाया जाता है, जिन्हें संघ सरकार एवं प्रांतीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में जिस तरह संघ सरकार की संरचना है, उसी प्रकार प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की संरचना को प्रस्थापित किया गया है। इस संदर्भ में राज्यपाल प्रांतीय स्तर पर उसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है, जैसे- संघीय स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है|

राज्यपाल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, राज्यपाल के पद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकाल से देखी जा सकती है, जब 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत की राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश कंपनी से हस्तांतरित होकर ब्रिटिश राज़मुकुट के पास चली गई थी| स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद को बनाए रखा, लेकिन उसकी शक्तियों में परिवर्तन कर दिया गया। वर्तमान में राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ना कि वास्तविक प्रमुख। अनुच्छेद 153 के अनुसार " प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा" (Awashthi, 2013:434)| भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। सर्वप्रथम वह राज्य प्रमुख के रूप में, द्वितीय केंद्र एवं राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 155 के अनुसार " राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी"| राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान सभा में विचार-विमर्श हुआ, जिसमें एक यह भी सुझाव आया कि राज्यपाल का निर्वाचन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने से राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के मध्य विवाद उत्पन्न हो सकते थे, परिणामस्वरूप निर्वाचन के स्थान पर नियुक्ति को प्राथमिकता दी गयी (Sethi, 2018:226)| इस प्रकार अमेरिकी प्रारूप को ना अपनाकर कनाडा के प्रारूप को अपनाया गया, जहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति (गवर्नर- जनरल)के द्वारा की जाती है|

प्रारंभ से ही केंद्र-राज्य संबंधो में राज्यपाल का पद एक विवादास्पद मुद्दा रहा है| समय- समय पर विभिन्न राजनीतिक

दलों ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए राज्यपाल के पद का उपयोग किया है| राज्यपाल की भूमिका को लेकर विवादों का आरंभ चतुर्थ आम निर्वाचन (1969) के पश्चात् होता है, जब कुछ राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के पश्चात कांग्रेस कुछ राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। इन बदलती परिस्थितियों में राज्यों ने राज्यपाल के पद पर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया कि राज्यपाल केंद्र के निर्देशों पर राज्य के प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं (Siwach, 2017:129)|

वर्ष 2004 में 14 वें आम निर्वाचन के पश्चात् जब केंद्र में यू.पी.ए. की सरकार का गठन किया गया तब से राज्यपाल का पद विवादों का विषय बनता रहा है| वर्ष 2014 में 16 वें आम निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और एन.डी.ए. के नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर सरकार का गठन किया गया, तब से राज्यपाल का पद और भी विवादास्पद बन गया है| राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद के प्रमुख मुद्दे जैसे- मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रीपरिषद को बहुमत सिद्ध करने के लिये दिया जाने वाला समय, राज्य विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर उपयुक्त समय में निर्णय न लेना, राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित करना, राज्य सरकार की नीतियों पर टीका-टिप्पणी करना, मंत्रीपरिषद से मंत्री को बर्खास्त करना, और राज्य विधानपरिषद में सदस्यों को मनोनयन करना इत्यादि| राज्यपाल के संदर्भ में एक प्रमुख विवाद राज्यपाल की विवेकाधीन भी शक्तियां हैं, कई बार राज्यपाल की रिपोर्टों के आधार पर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी किया गया है, जब राज्यों की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया|

वर्तमान समय में राज्यपाल और विभिन्न राज्यों की सरकारों के मध्य जैसे-पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इत्यादि के मध्य विवाद बना हुआ है,जो भारत में सहयोगी संघवाद की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है (Narula, 2010:125)| वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक विमर्श के आधार पर की जाती है, और ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है, जो केंद्र की इच्छा के अनुरूप कार्य कर सकें। सामान्यत: देखा गया है कि जब केन्द्रीय स्तर पर सरकार बदलती है तो नई सरकार विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही हटा देती है, यह परंपरा यू.पी.ए. और एन.डी.ए.

दोनों के शासनकाल में देखी जा सकती है| वर्ष 2004 में अनावश्यक रूप से एक राज्य के राज्यपाल का अन्य राज्यों में तबादला किया गया| यू.पी.ए. सरकार ने 2 जुलाई 2004 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, हरियाणा के राज्यपाल बाबू परमानंद, गुजरात के राज्यपाल कैलाशपति मिडा, और गोवा के राज्यपाल केदारनाथ साहनी को हटाया गया| वर्ष 2014 में एन.डी.ए. सरकार के गठन के पश्चात् महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायण का मिज़ोरम तबादला कर दिया गया, परिणामस्वरूप उन्होंने त्यागपत्र दे दिया| गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल का मिज़ोरम स्थानांतरण, किया गया और बाद में पद के दुरुपयोग के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया| वीरेंद्र कटारिया को भी पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से भी हटाया गया| वर्ष 2014 में एन.डी.ए. सरकार ने नौ राज्यों के राज्यपालों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अपदस्थ किया गया (Kumar, 2017:113)|

इस समस्या का प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त" अपने पद पर कार्य करेगा| केंद्र एवं राज्य के मध्य राज्यपाल की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियां बनायी गयी जैसे-प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार आयोग (1969), सरकारिया आयोग (1983), पुंछी आयोग (2007), द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग(2005) इत्यादि। राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग जिसका गठन न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया के नेतृत्व में गठन (2000) किया गया| इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के विचार विमर्श के पश्चात् की जानी चाहिए| विभिन्न विधि आयोगों ने भी राज्यपाल के पद के संदर्भ में बदलाव करने की सिफारिश की है (Devpura, 2018:120)| राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, और कई बार केंद्र के निर्देशों का इस सीमा तक अनुसरण करते है, जिससे राज्यपाल के पद की गरिमा धूमिल होती है। इसलिए राज्यपाल की भूमिका में बदलाव की आवश्यकता है, जिससे भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना की जा सके| केंद्र-राज्य संबंधों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध होना अति आवश्यक है, जिससे भारत की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके |

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण प्रशासन में शक्तियों की संरचना से निर्धारित होता है| इस आधार पर दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रारूप दृष्टिगोचर होता है| प्रथम संघात्मक व्यवस्था और दूसरी एकात्मक व्यवस्था (Awasthi, 2013:437)| भारत का संविधान संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें एक सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गयी है, भारत ने केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है| भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघीय स्तर पर राज्य का नाममात्र का प्रमुख है, और राज्यपाल राज्य स्तर पर नाममात्र का प्रमुख हैं|

संघवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के 'फेडरलिज्म' का हिंदी रूपांतरण है, और फेडरलिज्म शब्द लेटिन भाषा के "फोडस" शब्द से बना है, जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है। 'संघवाद सरकार का एक प्रारूप है, जिसमें संघ और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन सविंधान के द्वारा किया जाता है, और दोनों ही सरकारें अपने निर्धारित क्षेत्रों में स्वतंत्र होकर शक्तियों का प्रयोग करती हैं| भारत के संदर्भ में संविधान के द्वारा सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य विभिन्न सूचियों (संघ सूची ,राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट शक्तियां)के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया है| ब्रिटिश न्यायविद और संवैधानिक सिद्धांतकार ए . वी. डायसी ने संघवाद को परिभाषित करते हुए "संघीय व्यवस्था को राज्य के अधिकारों एवं राष्ट्रीय एकता और शक्ति सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से राजनीतिक युक्ति के रूप में परिभाषित किया है" (Awashthi, 2013:437)| संघवाद के निर्माण में दो प्रारूपो का वर्णन किया गया है| प्रथम प्रारूप में स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिससे वह अपनी सुरक्षा और विकास को बल दे सके| इस प्रकार का संघवाद "कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म" के नाम से जाना जाता है- अमेरिका ,स्विट्जरलैंड, और ऑस्ट्रेलिया इसी प्रकार संघवाद के उदहारण है| दूसरे प्रकार के प्रारूप में एक बड़ा राज्य संघ और विभिन्न इकाइयों में शक्तियो का विभाजन करता है| इस प्रकार के संघवाद को "होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म" के नाम से जाना जाता है| भारत, स्पेन और

बेल्जियम इसी प्रकार के संघवाद के उदाहरण हैं| इस प्रकार के संघवाद में केंद्र इकाइयों की अपेक्षा अधिक शक्तियों का उपयोग करता है| भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा संघवाद को दो कारणों से अपनाया गया, प्रथम देश का भौगोलिक आकार और द्वितीय सामाजिक -सांस्कृतिक विविधता। संविधान निर्माताओं द्वारा यह महसूस किया गया कि संघात्मक व्यवस्था के द्वारा न केवल शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी सुरक्षित किया जा सकता है(Laxmikant, 2020:30)|

भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदात्मक शासन की स्थापना करता है| जे.डब्ल्यू.गार्नर ने इस प्रकार की सरकार को “मंत्रीमंडलीय सरकार” के नाम से संज्ञायित किया है| मंत्रिमंडलीय सरकार में वास्तविक प्रमुख मंत्रीमंडल होता है, जो शासन की प्रमुख नीतियों एवं गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि राज्य का प्रमुख जिसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, नाममात्र का प्रमुख होता है(Awasthi, 2013:435)|

ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत में संसदात्मक व्यवस्था प्रचलन में थी और विभिन्न राजनीतिक संस्थाएँ कार्य कर रही थी| इसलिए सविधान निर्माताओं ने संसदात्मक व्यवस्था को प्राथमिकता दी| वास्तव में संसदात्मक व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों ,वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है| संसदात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था की तुलना में अधिक उत्तरदायी होती है| भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल के पद का निर्वाचन न करके, नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई है, क्योकि अगर राज्यपाल का पद भी निर्वाचित होता तो मुख्यमंत्री के साथ विवाद उत्पन्न हो सकते थे, जो अंततः राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए सही नहीं था। यद्यपि केंद्र और राज्य अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में स्वतंत्र है ,लेकिन फिर भी संघीय व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य समुचित समन्वय और सौहार्दपूर्ण संबंध होना आवश्यक है (Sharma, 2019:78)।

साहित्य का पुनरावलोकन

1. दलजीत सिंह (1961) प्रस्तुत लेख में लेखक द्वारा विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से राज्यपाल पद के विकास की चर्चा की है| संविधान में वर्णित राज्यपाल पद ब्रिटिश अतीत की देन है| इस पद का प्रारंभ भारत में कंपनी के शासन की प्रारंभिक स्थापना से माना जाता है| जब देश के विभिन्न भागों में कंपनी के कारखानों को अलग-अलग गवर्नरो के (जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता था) अधीन रखा जाता था, और 1773 के अधिनियम के

माध्यम से इस पद का क्रियान्वयन किया गया| लेखक द्वारा प्रस्तुत लेख में विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है|

2. जेपी शुदा (1968) प्रस्तुत कृति में लेखक द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल की सैद्धांतिक एव व्यावहारिक स्थिति का अध्ययन किया गया है| प्रस्तुत लेख में राज्यपाल से संबंधित विभिन्न राज्यों के विवादों का विश्लेषण किया गया है| यह लेख समयाविधि के अनुरूप विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के कार्यों पर प्रकाश डालता है| लेखक द्वारा विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है|
3. रजनी गोयल (1992) लेखक द्वारा भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन किया गया है| वास्तविकता के संदर्भ में राज्यपाल पद को लेकर वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों के संदर्भ में विवादों का भी विश्लेषण किया गया है| प्रस्तुत लेख में वर्णात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| लेखक द्वारा इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अनुचित हस्तक्षेपों पर रोक लगाने का सुझाव दिया है|
4. गिल (2008) लेखक ने प्रस्तुत कृति में केंद्र द्वारा अपने राजनीतिक हितों को पूर्ण करने के लिए राज्यपाल पद के दुरुपयोग को रेखांकित किया है| लेखक द्वारा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करते हुए बताया है कि राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के निर्देशन पर कार्य करते है, जिससे कि वर्तमान समय में राज्यपाल का पद शोभनीय बन कर रह गया है| लेखक द्वारा विभिन्न राज्यों के उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य की राजनीति में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया है|लेखक द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यों की समस्याओं को व्यक्त किया गया है| लेखक निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट करता है कि जिस भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए वह प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और राजनीति दलों की राजनीति से मुक्त होना चाहिए| सुझाव के रूप में लेखक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, कि राज्यपाल को अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान के प्रावधनों के अनुसार कार्य करना चाहिए|
5. चौधरी (2010) प्रस्तुत शोध पत्र में लेखक द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया हैं| प्रस्तुत लेख में राज्यपाल

की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित विभिन्न विवादों का उल्लेख किया गया है| जिससे राज्यों की आतंरिक प्रशासन में स्वायत्तता कम हो गई है| लेखक द्वारा निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल द्वारा दुर्लभ मामलों में और आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए| जब अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो संविधान सभा में गंभीर चर्चा की गयी थी, और यह आशा की गयी कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कम ही किया जाएगा पर वास्तविकता में ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया |

6. रानी (2014) प्रस्तुत लेख के अंतर्गत लेखिका द्वारा 2004 से 2014 तक राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया गया है| भारत में मिली-जुली सरकारों के आगमन के कारणों से भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है| भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों के स्वरूप में क्या परिवर्तन आए उनका विस्तार से वर्णन किया गया| लेखक द्वारा वर्णात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

7. नारायण (2016) प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा राज्यपालों को राज्यों में केंद्रीय सत्ता का प्रतीक माना गया है| इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय संघ में राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी की प्रक्रिया में राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की तुलना में केन्द्रीय अभिकर्ता के रूप में रेखांकित किया गया है| प्रस्तुत पुस्तक में राज्यपाल पद के ऐतिहासिक विकास क्रम का व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है| लेखक द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है|

8. सिंह (2017) लेखक द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है| प्रस्तुत लेख में संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में शक्तियां के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला है| लेखक द्वारा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका को विश्लेषित किया है |

9. पंकज (2017) प्रस्तुत लेख में सवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की शक्ति, स्थिति और भूमिका का विश्लेषण किया है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| प्रस्तुत शोध

पत्र में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का विश्लेषण किया है| राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां के संदर्भ में यह प्रश्न चिन्ह लगाया है, कि राज्यपालों द्वारा विवेकाधीन शक्तियां का प्रयोग संविधान की मर्यादा के अनुरूप नहीं किया गया है| लेखक का मानना है कि राज्यपाल की भूमिका अब उस तरह की नहीं रही है जैसी कि संविधान निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी|

10. चटर्जी (2017) प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा राज्यपाल पद के ऐतिहासिक विकास क्रम का अध्ययन किया गया है। भारतीय सविधान में वर्णित राज्यपाल की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एवं विवेकाधीन शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है| विश्वविद्यालय में राज्य कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका एवं कार्यो को विश्लेषित किया गया है| प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| लेखक द्वारा राज्यपाल पद से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधनों की व्याख्या की गयी है|
11. कुमार (2017) प्रस्तुत लेख के अंतर्गत वर्तमान समय में केंद्र राज्य संबंधों में राज्यपाल पद की प्रासंगिकता का अध्ययन किया गया है| इस लेख में यह अभिव्यक्त किया गया है कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है ,संविधान में इस पद की संकल्पना संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में की गई है| वर्तमान परिदृश्य में राज्यपाल का पद राजनीतिक खिलौना बनकर रह गया है| केंद्र में सरकार बदलते ही राज्यपालों की स्थिति का वर्णन किया गया है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| अंत में लेखक द्वारा सुझाव के रूप में राज्यपाल पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक एवं सहयोगात्मक बिंदुओं को समाहित किया है।
12. नारायण (2017) प्रस्तुत लेख में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित नकारात्मक परिणामों की चर्चा की गई है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान सभा द्वारा राज्यपाल पद की नियुक्ति से संबंधित विवादों पर चर्चा की गयी है | लेखक द्वारा संवैधानिक नियुक्तियों में राज्यपाल की सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए|
13. सिंह (2018) प्रस्तुत लेख में राज्यपाल को राज्य में केंद्रीय सत्ता के प्रतीकात्मक रूप में परिभाषित किया गया है| लेखक द्वारा वर्णात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| प्रस्तुत लेख में राज्यपाल की वर्तमान में जैसी स्थिति है, उसे केंद्र द्वारा चयनित किया गया है| राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र सरकार उसे बनाना चाहती है| लेखक द्वारा सुझाव के रूप में यह कहा गया है कि वर्तमान समय में राज्यपाल पद की व्यावहारिक स्थिति एवं संवैधानिक

स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना होगा जिससे केंद्र एवं राज्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को स्थापित किया जा सके|

14. बयाला (2018) प्रस्तुत शोध पत्र में लेखक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक शासन की विफलता के पश्चात् राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू की जाने वाली संकट काल घोषणा का विश्लेषण किया गया है| प्रस्तुत लेख में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया हैं| प्रस्तुत लेख के माध्यम से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के कारणों, प्रभावों एवं राजनैतिक पक्षों को स्पष्ट किया गया है| प्रस्तुत लेख में 356 के दुरुपयोग के संदर्भ में राजनीतिक संस्थाए जैसे- राज्यपाल का पद, जिसमें राज्यपालों को संवैधानिक प्रावधनों को स्पष्ट रूप से प्रयोग करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए साथ ही मुख्यमंत्रियों का विवेक सम्मत आचरण भी इस समस्या के निदान में मदद कर सकता है।

15. चौहान (2018) प्रस्तुत कृति में लेखक ने केंद्र-राज्य संबंधों के मध्य राज्यपाल की भूमिका का विवेचन किया है| प्रस्तुत लेख में केंद्र–राज्य सम्बन्ध के सन्दर्भ में राज्यपाल की महत्वता को वर्णित किया गया है| केंद्र-राज्य संबंधो की भूमिका को स्पष्ट करते हुए लेखक द्वारा वर्णात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| निष्कर्ष रूप में यह लेख राज्यपाल पद की महत्ता को व्यक्त करते हुए प्रथम राज्य सरकार के अध्यक्ष के रूप में द्वितीय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भूमिका को स्पष्ट करता है|

16. कुमार (2018) प्रस्तुत लेख में 1950 से 2014 तक भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का विवेचित अध्ययन किया है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| लेखक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला है| निष्कर्ष रूप में यह लेख 26 जनवरी 1950 के बाद संघात्मक ढांचे में हुए परिवर्तनों पर बल देता है| प्रस्तुत लेख में भारतीय संघ व्यवस्था की प्रकृति, केंद्र- राज्य संबंधों का विवेचन किया गया है| केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु विभिन्न सुझावों की भी चर्चा की है|

17. शर्मा (2019) प्रस्तुत लेख के अंतर्गत राज्यपाल पद की दोहरी भूमिका को विवेचित किया गया है| संविधान द्वारा शासन सत्ता का विभाजन केंद्र व राज्य के मध्य किया है| इस लेख के माध्यम से वर्तमान समय में राज्यपाल पद से संबंधित प्रभावकारी एवं व्यावहारिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| प्रस्तुत लेख में संघीय शासन के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य विवादों का विश्लेषण किया है| अंततः

लेखक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यपाल का पद एक सवैधानिक संस्था है| लेखक का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा इसे निजी हितों की पूर्ति एवं राजनीतिक हितों की पूर्ति का अभिकरण नहीं बनाना चाहिए बल्कि इसे केंद्र एवं राज्य संबंधों के मध्य प्रभावशील बनाने वाले पद के रूप में विकसित करना चाहिए|

18. गुप्ता (2021) प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा राज्यपाल की संवैधानिक एवं विवेकीय शक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। यह पुस्तक संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के मध्य राज्यपाल की भूमिका को कड़ी के रूप में प्रदर्शित करती है| इस पुस्तक में राज्यपाल की शक्तियों एवं दायित्वों को प्रस्तुत किया गया है |यह पुस्तक राज्यपाल की संवैधानिक प्रस्थिति के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है| भारतीय संविधान में राज्यपाल की कार्यस्थिति एवं शक्तियों का विश्लेषण किया है।

19. परिहार और सिंह (2021) प्रस्तुत लेख में लेखक द्वारा 2014 के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल पद का महत्व और दुरुपयोग को रेखांकित किया है| लेखक द्वारा वर्णात्मक एव विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है | इस लेख के माध्यम से गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू -कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी जैसे राज्यों में राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णयों और केंद्र – राज्य संबंधों पर उन निर्णयों के माध्यम से पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया है| यह लेख केंद्र और राज्य के मध्य संघर्ष और राज्यपाल के पद को लेकर समय –समय पर विभिन्न आयोगों के गठन एवं प्रस्तावित सुझावों पर बल देता है| लेखक के अनुसार राज्यपाल पद को ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करके मजबूत करने की आवश्यकता है जो कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके|

20. मीना(2021) प्रस्तुत लेख के अंतर्गत संघवाद के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है| केंद्र सरकार द्वारा सहयोगात्मक संघवाद को निरंतर मजबूत एवं प्रभावशाली बनाये रखने के संवैधानिक नियमों पर बल दिया गया है| लेखक द्वारा विवरणात्मक, विधि का प्रयोग किया गया है| लेखक का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का निर्णय लेते समय सम्बंधित राज्य सरकार से भी परामर्श करना चाहिए, जिससे की केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विवाद को सफलतापूर्वक समाप्त किया जा सके|

21. त्रिपाठी (2022) लेखक ने प्रस्तुत कृति में राज्यपाल की शक्तियो, भूमिका, विभिन्न राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संघर्षो का वर्णन किया गया है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया हैं| यह लेख राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को प्रस्तुत करता है| लेखक द्वारा राज्यपाल के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार सत्ताधारी दल का पक्ष लेते हुए केंद्र के हाथों की कठपुतली के रूप में आलोचना की गयी है| लेखक द्वारा निष्कर्ष रूप में यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए|

22. इनाम पुडी (2022) प्रस्तुत शोध पत्र भारत में सहयोगत्मक संघवाद के संदर्भ में लेखक द्वारा राज्यपाल की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है| लेखक द्वारा वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| लेखक द्वारा प्रस्तुत लेख के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल की भूमिका में परिवर्तन देखा गया है, जो कि राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में परिभाषित करती है| प्रस्तुत शोध पत्र से यह परिलक्षित होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका, और राज्य आपातकाल के संदर्भ में राज्यपालों की भूमिका, केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बनी हुई है| यह लेख समकालीन समय में राज्यपाल पद की प्रासंगकिता और उसकी चुनौतियों का अध्ययन करता है|

23. अहिरे एट. एल. (2023) प्रस्तुत लेख पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की स्थिति का अध्ययन करता है| यह लेख विभिन्न राज्यों में राज्यपाल से सम्बंधित विवादों पर प्रकाश डालता है| लेखक द्वारा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| प्रस्तुत लेख राज्यपाल के पद से संबंधित विभिन विवादों को स्पष्ट करता है जैसे कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का चयन करना, विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करना इत्यादि| निष्कर्ष रूप में लेखक के अनुसार सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यपाल पद के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए|

24. सलवान (2023) प्रस्तुत लेख में संघवाद का अर्थ ,ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघवाद के प्रकार व कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया है| विशेषत: यह लेख स्वतंत्रता के बाद समकालीन समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संघवाद के स्वरूप व आयामों के परिवर्तित रूप तथा सम एवं विषम स्वरूपों पर प्रकाश डालता है | प्रस्तुत लेख में लेखक

द्वारा वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है| सुझाव के रूप में लेखक द्वारा भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विभिन्नता और स्वायत्तता की मांगों के प्रति संवेदनशीलता और उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद को सुदृढ़ कर सकती है|

शोध अंतराल

पूर्व शोध अध्यन्ननों में राज्यपाल के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधनों का वर्णन किया गया है, अभी तक की गई साहित्य समीक्षा के आधार पर विशेषकर 2014 के बाद राज्यपाल के पद के कारण केंद्र राज्य संबंधों में टकराव उत्पन्न हो रहे हैं, जो सहयोगी संघवाद में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं| वर्ष 2004 से 2024 के कार्यकाल के संदर्भ में समीक्षात्मक अध्ययन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है| इसके साथ ही साथ इस कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की तुलनात्मक भूमिका के विश्लेषण का अभाव है| प्रस्तुत शोध इन्हीं अंतरालों को अपने अध्ययन का केंद्रीय विषय के रूप में इन अंतरालों को पूर्ण करते हुए विषय का चयन किया गया है।

समस्या कथन

भारत की संघीय- व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य के मध्य राज्यपाल एक कड़ी के रूप में कार्य करता है| भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद दो महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है| प्रथम राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में और द्वितीय केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी के रूप में। संविधान सभा द्वारा राज्यपाल पद के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया, और यह निर्धारित किया गया कि राज्यपाल के पद का निर्वाचन ना करके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाए, जिससे कि राज्यपाल और राज्य सरकार के मध्य विवाद या संघर्ष उत्पन्न न हो| लेकिन राज्यपाल के पद पर राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य को नियुक्त किया जाता है, जिससे राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली के समान हो गया है, और राज्यपाल राज्य के प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है| राज्यपाल के पद पर केंद्र में शासित राजनीतिक दल के सदस्य को सामान्यता राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है| राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं है और उसे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाया जा सकता है|

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां को लेकर भी विवाद सामने आये है| केंद्र में सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो| वर्ष 2004 के पश्चात् उन राज्यों में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही, जहाँ पर यू.पी.ए. गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों से अलग राजनीतिक दलों की सरकार थी| इसी प्रकार 2014 के बाद यह देखने में आया है कि विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा एक जैसी परिस्थितियों में अलग-अलग निर्णय लिए गये| राज्यपाल की यह विवेकाधीन शक्ति है, कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन के पश्चात् किस राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, विभिन्न समयों पर राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस प्रकार से किया है जिससे एक विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाया जा सके| राज्यपाल की भूमिका काफी विवादास्पद रही है, और सहयोगी संघवाद के रूप में बाधा उत्पन्न करती है| अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भारतीय राजनीति की बदलती परिस्थितियों में राज्यपाल का पद प्रासंगिक है या नहीं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल के पद को केंद्र के एजेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि राज्यपाल के पद की गरिमा को कमजोर कर रहा है| इसलिए शोध के विषय के रूप में केंद्र–राज्य संबंधो में राज्यपाल की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन : वर्ष 2004 से 2024 तक का चयन किया गया है|

अध्ययन का महत्व

वर्तमान अध्ययन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विशेषत: 2004 के बाद से राज्यपाल के पद की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है | भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान समय में राज्यपाल के पद पर विभिन्न आरोप लगाए जा रहे है, और यह भारतीय राजनीति में विवादास्पद मुद्दा बन गया है| प्रस्तुत अध्ययन में राज्यपाल की भूमिका और विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा, जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य संघर्षो के मुख्य कारणों में से एक है| प्रारंभ से ही राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण कर दिया गया है| प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत राज्यपाल के पद से संबंधित निश्चित मानक दडों का सुझाव प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आधार पर राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन

शक्तियां का प्रयोग किया जा सकेगा| भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण है ,और वर्तमान समय में राज्यपाल के पद से संबंधित विवादास्पद मुद्दों को देखते हुए इस पद में सुधार की आवश्यकता है| प्रस्तुत शोध की वर्तमान सन्दर्भ में उपयोगिता महत्वपूर्ण है, जिससे कि सहयोगात्मक संघवाद एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित किया जा सके| वर्तमान समय में इस शोध विषय की उपयोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योकि भारत विश्व महाशक्ति के रूप में उभर रहा है| सहयोगी संघवाद देश के राष्ट्रीय हित, एकता, अखंडता ,सुरक्षा के लिए आवश्यक है| प्रस्तुत अध्ययन शोधार्थियों, नीति-निर्माताओं ,शिक्षाविदों के लिए लाभकारी एवं उपयोगी होगा।

उद्देश्य

1. भारत में राज्यपाल पद के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किया जाएगा।
2. राज्यपाल के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधनों का अध्ययन किया जाएगा।
3. वर्ष 2004 से 2014 के कार्यकाल के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा|
4. वर्ष 2014 से 2024 के कार्यकाल के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा|
5. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल के पद से संबंधित विभिन्न विवादों का केंद्र-राज्य संबंधो पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा|

परिकल्पना

1. राज्यपाल की भूमिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधनों में अस्पष्टता है, जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों को प्रभावित करती है|
2. 2004 से 2014 के मध्य राज्यपाल के पद के कारण केंद्र-राज्य संबंधों में सकारात्मक सहयोग में कमी आई है|
3. 2014 से 2024 के मध्य राज्यपाल के पद का प्रयोग राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है।
4. राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख विवाद सहयोगी संघवाद को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

शोध पद्धति

शोध प्ररचना-प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक एवं अंतवस्तु विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा|

तथ्य संकलन के स्रोत-

प्रस्तावित अनुसंधान में तथ्य संग्रह हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा|

प्राथमिक स्रोत- प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय संविधान, सविधान सभा की परिचर्चा, सरकारी दस्तावेजों के प्रतिवेदन एवं ज्ञापन तथा विभिन्न आयोगों की सिफारिशों एवं समितियों की रिपोर्टों का प्रयोग किया जाएगा|

द्वितीयक स्रोत- प्रस्तावित शोध अध्ययन में द्वितीयक्र शोध के अंतर्गत मुख्यत: पुस्तक, लेख, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपादित शोध कार्य एवं इंटरनेट स्रोतों का प्रयोग किया जायेगा|

प्रस्तावित अध्यायीकरण

प्रथम अध्याय

- प्रस्तावना
- सैद्धांतिक पृष्ठभूमि
- समस्या कथन
- साहित्य का पुनरावलोकन
- शोध अंतराल
- अध्ययन के उद्देश्य
- परिकल्पना
- शोध पद्धति
- अध्ययन का महत्त्व

द्वितीय अध्याय

- भारत में राज्यपाल के पद का ऐतिहासिक विकास का अध्ययन

तृतीय अध्याय

- राज्यपाल के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन

चतुर्थ अध्याय

- वर्ष 2004 से 2014 के कार्यकाल में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन

पंचम अध्याय

- वर्ष 2014 से 2024 के कार्यकाल में राज्यपाल की भूमिका का अध्ययन

षष्टम अध्याय

- राज्यपाल से संबंधित विवादों का केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव का अध्ययन

सप्तम अध्याय

- निष्कर्ष एवं सुझाव

सन्दर्भ-सूची

❖ Ahire, A.K., Dewangan, A., & Tiwari, A. (2023). Revisiting the Position of Governor under the Indian Constitution in reference to recent cases of West Bengal, Chhattisgarh, and National Capital Region Delhi. *International Journal of Creative Research Thought*, 11(1), 770-775. https://ijcrt.org/papers/IJCRT2301098.pdf

❖ Awasthi, A.P. (2013). *Indian Government and Politics*. Laxmi Narayan Agarwal Publishers.

❖ Bayala, M.P. (2018). Rajyo me Rashtrapati Shashan: Ake Adhyan. *Shrinkhla Ek Shodhparak Vaichanik Patrika,* Vol-5.

❖ Chatterjee, S. (1971). The Role of Governor in Indian Politics 1967*, The Indian Journal Of Political Science*, 32(4).

❖ Chatterjee, S. (1992). *Governor's Role in the Indian Constitution*. Mittal Publications Delhi.

❖ Chaudhry, V. (2010). Misuse of Article 356 by the Governor. *International Journal of Computing and Business Research, 1(1),* 102-114. http://www.researchmanuscripts.com/PapersVol1N1/10.pdf

❖ Chauhan, R. (2018). Kendra-Rajya Sambandho Me Rajypal Ki Bhumika. *International Journal of Innovative Social Science & Humanities Research*, 5(3).

❖ Dahiya, M.S. (1979). *Office of the governor in India*. Sundeep Prakashan Delhi.

❖ Devpura, V. (2010). *Bhartiya Rajya Vyavstha*. Delhi: K.K. Publications, pp.

❖ Gill, R. (2008). ARE THE GOVERNORS AGENT OF THE CENTRE? *The Indian Journal of Political Science, 69(1),* 177-182. http://www.jstor.org/stable/41856402

❖ Goyal, R. (1992). The Governor: Constitutional Position and Political Reality. *The Indian Journal Of Political Science*, 53(4).

❖ Gupta, S. (2021). *Sanghiya Shashan Vyvastha Me Rajypal ki Bhumika: Ake Avlokan*. Manish Prakashan.

❖ Inampudi, S. (2022). Revitalizing the Role of Governor in Co-operative Federalism: With Special Reference to the 75 Years of Journey of India. *South Asian Journal of Socio-Political Studies, 23(1),* 20-26.

❖ Kumar, A. (2018). Bhartiya Sanghwad ki Mukhya Ubharti hui Pravatiya ka Vishleshan. *International Journal of Research*, Vol-5.

❖ Kumar, R. (2017). Kendra-Rajya Sambandho Me Rajyapal ki bhumika ka Abhinav Vishleshan. *Worldwide Journal of Multidisciplinary Development, 3(6),* 111-113.

❖ Laxmikanth, M. (2020). *Indian Polity*. McGraw Hill Education (India) Private Limited.

❖ Meena N. (2021). Bharat me Sanghwad ka Samkaleen Swaroop: *International Journal of Political Science and Governance, 3(2),* 162-163.

❖ Narayan, J. (2017). Reimagining Governor's Institution and Federalism. *Indian Journal of Public Administration, 63(3),* 418-430. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0019556117720612

❖ Pankaj, A. (2017). Governor in Indian Federalism-II: Hiatus between Constitutional Intents and Practices. *Indian Journal Public Administration, 63(1),* 13-40. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0019556117689850?journalCode=ipaa

❖ Parihar, G.K., & Singh, P. (2021). The Governor in the Indian Political Milieu. *Anthology: The Research Social Research Foundation, 6(3),* 1-9. www.socialresearchfoundation.com

❖ Rani, M. (2014). Gathbandhan Ke Kaal Me Kendra Avem Rajya Ke Madhy Sambandh 2004 se 2008 Tak, *International Research Journal of Commerce, Arts, And Science*, 5(1).

❖ Ratha, S.K., & Sinha, R. (2021). Changing Nature of Indian Federalism and The Role of Governor. *International Journal of All Research Education and Scientific Methods, 9(6),* 775-786. http://www.ijaresm.com/changing-nature-of-indian-federalism-and-the-role-of-governor

- Sawakar, M. (2019). The Role of Governor Constitutional Position and Functions: *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 6(11),* 33-41.
- Sethi, R. (2018). Governor: Powers and Position. In H. Roy, & M.P. Singh (Eds.), *Indian Political System*. Pearson India Education Services Pvt. Ltd. (pp.224-243)
- Sharma, R. (2019). Rajyapal ki Shaktiyo tatha Pad ka Dohra Swaroop. *Shrinkhla: Ek Shodhparak Vaicharik Patrika*, Vol-6.
- Singh, D. (1961). *The Position of a State Governor in India Same*, 22(3).
- Singh, M.P. (2017). Discretionary Powers of the Present and Governors in India in Constitution and Practice. *Indian Journal of Public Administration, 63(3),* vii-xvii. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0019556117721847
- Singh, S. B. (2013). Nature of Indian Federation. *Global Research Analysis*, Vol-2.
- Sivach, J.R. (2017). *Bharat ki Rajnitik Vyavastha*. Panchkula, Haryana Granth Academy, pp.
- Suda, J.P. (1968). The Role of The Governor. *The Indian Journal of Political Science*, 29(1).
- Tripathi, N. (2022). Role of Governor and Constitution of India. *International Journal of Law Management & Humanities, 5(4),* 1193-1207. https://www.ijlmh.com/paper/role-of-governor-and-constitution-of-india/